


फर्द अहकाम

बनाम _____

/20 _____

ख्या / वर्ष

दिनांक अज्ञात या कार्यवाही	आज्ञा वित्त्वृत ल्य जे	विशेष विवरण
28/2/23	<p>पत्तावली आज तावे की पत्तावली के लागू पेश हुई। तावा वादी विज्ञो किए जाने के कारण प्रार्थी के प्रार्थी वकील के द्वारा प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी विज्ञो करने हेतु कहे जाने पर प्रार्थी का प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का विज्ञो (भारिज) किया जाता है। प्रा. पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भारिज किए जाने से न्यायालय का पूर्व आदेश किनांक 8/3/22 का प्रभावहीन हो गया। पत्तावली वाद तडकील सम्बिल दफ्तर हो</p>	


 उपस्थित अधिकारी
 उपखण्ड, चाकसू (जयपुर)